प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। यह योजना माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई है । यह एक गैर-कार्पोरेट, गैर-कृषि लघु उद्यमों को 10 लाख तक की ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इन ऋणों को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के उद्देश्य

* बिना वित्तपोषित को वित्तपोषित करना
* बेरोजगार आर्थिक विकास को कम करना
* माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) की निगरानी और विनियमन)
* अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का औपचारिक क्षेत्र में एकीकरण
* वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना

पात्रता

* आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए
* ऋण केवल ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के व्यवसाय के लिए उपलब्ध है
* ऋण राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
* पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और दो पासपोर्ट फोटोग्राफ होने चाहिए

मुद्रा लोन के प्रकार

शिशु- 50000 तक का ऋण (स्टार्ट-अप और पहली बार उद्यमियों के लिए)

किशोर- 50000 से 5 लाख तक का ऋण (मौजूदा व्यवसाय वाले उद्यमियों के लिए)

तरूण- 5 लाख से 10 लाख तक ऋण (व्यवसायियों के लिए और ऋण राशि का उपयोग व्यवसाय विस्तार के लिए किया जाना चाहिए)

मुद्रा योजना के लाभ

01 ₹50,000 से ₹10 लाख तक लोन

02 गारंटर जरूरी नहीं

03 कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं

04 ब्याज दर कम

05 मुद्रा कार्ड की सुविधा

06 लोन चुकाने की अवधि बढ़ा सकते हैं

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

* आपको पहचान के लिए आधार कार्ड देना होगा
* जो भी बिजनेस शुरू करने की आप योजना बना रहे हैं आपको उसका प्रपोजल जमा करना होगा
* अपना स्थाई निवास प्रमाण पात्र देना होगा
* अपना हाल ही में लिया गया पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना होगा
* अपने बिजनेस से सम्बंधित जो भी उपकरण या मशीनें चाहियें, उनका क्वोटेशन प्रस्तुत करना होगा
* बिजनेस का आइडेंटिटी या एड्रेस प्रूफ
* जाति प्रमाण पत्र

मुद्रा लोन लेने की प्रक्रिया

* आवेदक को उन बैंकों से संपर्क करना चाहिए जो मुद्रा योजना द्वारा ऋण प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध हैं
* व्यवसाय का पूरा विवरण बैंक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए
* बैंक आपकी आवश्यकता को ३ योजनाओं- शिशु, किशोर और तरूण में से किसी एक में वर्गीकृत करेगा
* फिर बैंक में लोन के लिए एक फहर्म भरना होगा
* बैंक व्यवसाय योजना और आवश्यकता की समीक्षा करेगा और स्वीकृत होने पर ऋण प्रदान करेगा

मुद्रा लोन लेने की प्रक्रिया

* मत्स्य पालन।
* मत्स्य पालन मे उपयोग होने वाले मशीनरी का ब्यवसाय।
* मछली पकड़ने मे उपयोग होने वाले मशीनरी का ब्यवसाय।
* मत्स्य पालन मे उपयुक्त आदानों जैसे फीड, सीड, फर्टिलाइजर, प्रोबिओटिक्स, इत्यादि का ब्यवसाय।
* मत्स्य उत्पाद एवं उपोत्पाद से सम्बन्धित ब्यवसाय।

पीएमएमवाई के तहत उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष	पीएमएमवाई के ऋण मंजूर संख्या	राशि मंजूर	राशि वितरित
2022-23	62310598	Rs. 456537.98 crores	Rs. 450423.66 crores
2021-22	53795526	Rs. 339110.35 crores	Rs. 331402.20 crores
2020-21	50735046	Rs. 321759.25 crores	Rs. 311754.47 crores
2019-20	62247606	Rs. 337495.53 crores	Rs. 329715.03 crores
2018-19	59870318	Rs. 321722.79 crores	Rs. 311811.38 crores
2017-18	48130593	Rs. 253677.10 crores	Rs. 246437.40 crores
2016-17	39701047	Rs. 180528.54 crores	Rs. 175312.13 crores
2015-16	34880924	Rs. 137449.27 crores	Rs. 132954.73 crores

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें

विभागाध्यक्ष मात्स्यिकी अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग

मात्स्यिकी महाविद्यालय, अर्राबाड़ी, किशनगंज - 855107 (बिहार)

(बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना)

फोन नंबर - 8900744790, 6206685720

ई-मेल -tenzipem2@gmail.com, ravikul1992@gmail.com

आलेख

तेंजी पेम भुटिया, रवि शंकर कुमार

प्रकाशन

अधिष्ठाता

मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज

(बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,पटना)

डिजाइनिंग - तुषार कुमार

फोटोग्राफर, मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना